

(1)

जिला कार्यक्रम समन्वयक,

प्राधिकारिक/अधिकारी विद्यालय, इलाहाबाद।

सन् १९७३ में इन्होंने का एक अतिरिक्त वर्दी-कछा-निर्माण की स्वीकृति कार्यकारिजी छापा प्राप्त है। एक अतिरिक्त वर्दी-कछा-निर्माण हेतु कुल प्रावक्कलित राशि रु० ५५९०/-  
(एक लाख उनसह टूजार और दो लाख रु० ५५९०/-) से निर्माण खर्च में रु० १,५६,०००/- (एक लाख पचास हजार रु० ५५९०/-) राशा अपरविजन चार्जे रु० ३९०/- (तीन हजार दो लाख रु० ५५९०/-) है।

अतः एक अतिरिक्त वर्दी-कछा-निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु प्रावक्कलित राशि रु० ७५/- अर्धीस रु० ११९२५/-  
(एक लाख उनसह टूजार लोंगों पचास रु० ५५९०/-) प्रथम किसत की राशि आधिकारिक रूप से विद्यालय निकाल समिति प्राधिकारिक/अधिकारी विद्यालय, इलाहाबाद।... के पदनाम से एक निर्गत करने हेतु आदेश देना चाहते हैं।

आदेशार्थी

१७.८.७

राशि - - - - -

चेक सं० - - - - -

रिक्ति - - - - -

मास्टर सोनेका है अलैफ क  
लैक रारा (लैक रारा क)  
लैक रारा - काला, लाला,  
लैक - ४९.२०/-

प्रिला वन्नर्वन्नम् गणनायक

संखा ५० रजिस्टर्ड

विद्यालय शिक्षा राजिति प्रबन्धना किंवा

प्रखंड अधिकारी को ८४८-१ के निम्नान कार्य हेतु  
प्राचकलित राशि १६१७४०/- में से अग्रिम राशि रूपये  
५३१२५३/- उपलब्ध करायी गयी थी। उपलब्ध कराये गये  
उपयोगिता प्रणाण-पत्र / माली पुस्तकों के अनुराग ५५५/- तर  
राक निष्पाण कार्य हो चुका है तथा रूपये १५५२-३५/- का उपयोगिता  
प्रणाण-पत्र प्रत्युत है। विद्यालय शिक्षा राजिति को विकी कर रूपये ३१०५/- एवं  
रायलटी रूपये २३२७/- की कटौती करने हुए अगले विक्रत की राशि रूपये...  
५४७६/- ५५५/- उपलब्ध कराने का विवरण देना चाहिए एवं आभी तक के सभी निर्गत  
उपयोगों का राशायोजन बताए हुए संग्रह नक्का का आदेश देना चाहेंगे।

कृपया अनुमति

लेखक  
२७.१०.०६

११०५  
६११४

१८१०४/०६

मा. N. २३६३२/ १९.१०

(1)

श्री

## उमेश कुमार सिंह

अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड भंसाधन केन्द्र समन्वयक छारा

खाटा निमांगने रत्नपुर समिति के बीच सौदा बंधा

निमांगने हेतु एकरात्रनामा किया गया तथा निमलिखित की  
उपरिणिमि मे दरताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

- प्रखण्ड रांगाधन बैंद्र समन्वयक  
( पुरा नाम, दरताक्षर एवं मुहर )

सूचकालीन

द्वितीय पक्ष

- अध्यक्ष

- (i) पुरा नाम - उमेश कुमार सिंह
- (ii) हस्ताक्षर - उमेश कुमार

- सचिव

- (i) पुरा नाम - अमित शर्मा
- (ii) हस्ताक्षर - श्री अमित शर्मा

- प्रधानशिक्षक

- (i) पुरा नाम - लक्ष्मी शर्मा
- (ii) हस्ताक्षर - लक्ष्मी शर्मा

खाता सं० -

बैंक का नाम - फैटो बैंक नं० १२३४५६७८९०१

समिति का मुहर - वा० ५०० ८८८ २२००११

मात्र

- (~) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्वर-1 के अनुसूच हो (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में ग्राधिकारी दी जाय तथा वह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में वर्णित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्याप्तण और अनुभवण करेगा तथा पर्याप्तक / अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकि सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मांगेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नवरो और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्राककलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेगा।
- (10) सभी प्रकार के डयूटी के तहत वहन करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है।)
- 7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीसा वर्क बैरिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या मान्य निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक मागीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थितियों में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के ल्होने या चोरी होने की, नकद या मजदुर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।
8. विवाद या मतभेद :— यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एक सारनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष पिचार-विप्रश्न कर हल दूढ़ने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के जिलाधिकारी के समझ रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

4.1 निर्माण के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतिक्रिया के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जापा करने का अधिकार होगा।

#### 5. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरारनामा की तिथि से ..... (महीना, सप्ताह / दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा। विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कांडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

#### 6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

- 6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।
- 6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नवरों की तीन प्रतियों प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।
- 6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का अधितन बौद्धी और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के संविध हारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।
- 6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और युग्मान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

#### 7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

##### 7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कांडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कराल और सेप्ट लाइन जैसे सार्वतंत्र

# सर्व दि

१९८४ संख्या ५४२

1. यह एकरारनामा प्रभाग एकान्तरिक के रूप में दिया जाता है। इसमें बाद प्रधान वाले के उत्तरों के रूप में समन्वयक होंगे ) और विद्यालय शिक्षा समिति प्रखण्ड जिला भारत सरकार के संबोधित होंगे ) के बीच इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम चलेखा ) करने के लिए नियमानुसार शास्त्र पर एकरारनामा बनाया जाता है।
2. ठेके की कीमत :- कार्य के अन्त नामांड ( जो इसके बाद कृज जागति के हो जाते हैं ) में
3. नियम आवंटन :-

  - 3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो छाता खोला गया है जिसमें सचालन प्रभानाम्बद्धक सम्बोधित हो रहा है, उन्हें ज्ञाने में इस वार्ता की राशि जापा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन विभाग से उपलब्ध करने की जायेगी।
  - 3.2 प्रथम पक्ष द्वारा नियमा ३.६.८.१३ ( भुगतान नियमिति ) का अनुग्रह किया जायगा।

शास्त्रिय रूप के अन्तर्गत सम्बोधित जागति का %	शौक्यालय	
(१) अन्तिम जागति ५% से १०% तक होने वाली	(२) अन्तिम जागति १०% से २०% तक होने वाली	
१. प्रथम किस्त	५०%	७५%
२. द्वितीय किस्त	३५%	----
३. तृतीय किस्त	१५%	२५%

  - 3.3 प्रत्येक वरण का भुगतान नियमा ४.४ पर नियुक्त कर्त्ता अधिकारी और सहायक अधिकारी ही वे 'पर्वत' प्रष्ठत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा पिछली नियम राशि का करने से कम ५० प्रतीक्षात् और ८००० रुपूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतीक्षात् खबर कर दिया गया है। प्रथम पक्ष द्वारा अगले वरण की राशि नियंत्रित जा जायेगी।
  4. खाता का संघरण . द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए भिन्ने गाँय भुगतान के खाते का अलग ब्लॉक रखेगा यह ब्लॉक प्रथम पक्ष के या अन्य द्वारा के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी। निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(3)

५।

## कुमार रामरेणु

अध्यक्ष प्रधानशिक्षक रामिति और प्रखण्ड सम्पादन केन्द्र समन्वयक द्वारा

प्राप्तवेद अन्तर्गत समिति के बीच शुभ भवानी

निर्माण हेतु एकरानामा किया गया तथा गिन्नलिखित की  
उपस्थिति ने हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

दलाल भगवान केन्द्र समन्वयक  
(पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर )

कलिजन्म-जस्तारनामा

द्वितीय पक्ष

1. अध्यक्ष

(i) पुरा नाम - उमेश कुमार रेणु

(ii) हस्ताक्षर - (उमेश) कुमार रेणु

2. सचिव

(i) पुरा नाम - अ. अ. न. ग. द.

(ii) हस्ताक्षर - कुमार रेणु

3. प्रधानशिक्षक

(i) पुरा नाम - अ. (अ. कुमार रेणु)

(ii) हस्ताक्षर - (अ. कुमार रेणु)

खाता सं० -

बैंक का नाम - अ. अ. अ. अ. अ. अ.

समिति का मुहर - अ. अ. अ. अ. अ. अ.

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतिन हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जास करने का अधिकार होगा।

#### 5. कार्य पूरा करने की अवधि :—

इस एकरारनामा की तिथि से .....(महीना, सप्ताह / दिन) में कार्य पूरा कर सिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

#### 6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :—

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवता की जांच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्तों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कानीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में रुद्धार किया जा सकता है) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कानीय अभियंता कार्य प्रगति का अतन घौरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सविव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

#### 7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :—

##### 7.1 द्वितीय पक्ष :—

- (1) कंडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

- यह एक सारांश प्रपत्र, एकारान्तान के रूप में दिखता है को द्वितीय राशि के लिए रासन्कायक (जो इसके बाद दृष्टि पक्ष के नाम से दर्शाया जाता है) और विचालय शिक्षा समिति प्रखण्ड (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम से दर्शाया जाता है) के बीच जिन उल्लेख (निम्नांकित अंकों पर एकारान्तान का नाम लिया गया है) करने के लिए निर्भार्त्युत अंकों पर एकारान्तान का नाम लिया गया है।
- ठेके की कीमत :— एकारान्ती व्यापार के बाद इसके बाद नुलं लागत नहीं जाएगा (शब्दों में लिखा गया है) है।

### ३. निधि आवंटन :—

- द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के द्वारा राजा जां खाता खोला गया है जिसके संबलन प्रधानान्तान के तरां (१०%) हस्ताक्षर हो रहा है, तभी लागत में इस लागत को राणी जांगा (१०% की राणी जांगी) अतः इसके साथ ही उपलब्ध करने की जाएगी।
- प्रथम पक्ष द्वारा निर्भार्त्युत कार्य के लिए दुग्धान्त निर्भार्त्युतान के द्वारा निर्भार्त्युत की जाएगी।

	अमेरिका के अन्य देशों (एकलिन लागत का % के रूप में)	श्रीलंका (एकलिन लागत का % के रूप में)
१. प्रथम किस्त	50%	75%
२. द्वितीय किस्त	35%	—
३. तृतीय किस्त	15%	25%

- प्रत्येक घरण का भुग्तान निर्भार्त्युत पर नियमन अन्तीय अंतिमता और सहायक अंतिमता तक (१०%) प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा पिछली अंतिम राणी का कार्य से २% ५० प्रतिशत तक (५%) पूर्व में निर्गत राणी का 100 प्रतिशत चर्च कर दिया गया है प्रथम पक्ष द्वारा अगले घरण की राणी निर्गत की जायेगी।

- खाता का संघारण :— द्वितीय पक्ष द्वारा सन्य पर कार्य करने के लिए किये गये भुग्तान के बारे का प्रत्येक व्यौरा रखेगा यह व्यौरा उथम पक्ष के या अन्य दलों के प्रमण के सम्बन्ध जो इस कार्य के निरीक्षण (६-१२) प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतिरूप हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जाप्त करने का अधिकार होगा।

#### 5. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरारनामा की लिधि से ..... (महीना, सप्ताह / दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

#### 6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण समय समिति की गुणवत्ता की जांच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कमी निर्माण स्थल का नियमित झ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कमीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कमीय अभियंता कार्य प्रगति का अंत घोरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सविव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और मुग्धतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

#### 7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

##### 7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कंडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कायां के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

1. यह एकारानामा प्रपत्र, एकारानामा के रूप में दिनांक ..... के अध्यापक श्रीमद्भूमि जी के समन्वयक होंगे ) और विद्यालय शिक्षा समिति ..... प्रखण्ड ..... गिल ..... जौल ..... के सभीधित होंगे ) के द्वारा ..... कुल उठारो ..... दिनांक ..... वर्ष ( वर्ष का अनुमति उल्लेख ) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकारानामा बनवाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- शारीर की कुल जाति : जा. द्वारा काट "मुल लागि" की जायेगा ( शास्त्रों में विवरित रूप से ) है।

### 3. निषि आवंटन :-

- 3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समेति के लाभ से जो खाता व्योग जाये है जिसका सवालन प्रधानमंत्रीपक लाभ रहता है इसका हस्ताक्षर हो रहा है, इस खाते में हर कार्य की शाखा अपनी जायेगी। राशि प्रकल्प ग्रन्थानि उद्देश माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

- 3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्णय कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रा. ग. नियंत्रित जायेगा :-

अतिरिक्त वनस्पति एवं अन्य दक्षिण (प्राकृतिक लागत का % के रूप में)	शीघ्रालय (प्रकृतिक लागत का % : ५०, ३०, २०)
1. प्रथम किस्त	50%
2. द्वितीय किस्त	35%
3. तृतीय किस्त	15%

- 3.3 पर्याप्त करण का मुगलान निर्णय रथल पर नियुक्त यन्त्रिय अधिकारी और राजाचक्र अधिकारी हुआ होता है। प्रपत्र से उपर्योगिता प्रमाण पत्र देखे जाने पर तथा फिल्मी निर्गत राहि का काम दे पक्ष ३० प्रतिशत ( ३०% ) पूर्व में निर्गत राशि का १०० प्रतिशत खच जर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले करण की राशि नियन्त्रित कर जायेगी।

4. खाता का संधारण : द्वितीय पक्ष, द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खाते का अन्तर द्वारा रखेगा यह और प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के श्रमण के सभाय जो इस कार्य के निरीक्षण के त्रै प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(8)

श्री

## उच्चरा लक्ष्मी

अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा

प्राप्ति-लिखने वाले समिति के बीच ₹५० रुपया

गिरावट हेतु एकरारनामा किया गया तथा निम्नलिखित की  
आरिथमि भे हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

द्रवण रामायन केन्द्र समन्वयक  
(पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर )

संजोहन्दि अस्थाट भाटा

1. अध्यक्ष

(i) पुरा नाम - उमेश लक्ष्मीसंह

(ii) हस्ताक्षर -

2. सचिव

(i) पुरा नाम - अमृता श्रीमद्दीप

(ii) हस्ताक्षर -

3. प्रधानशिक्षक

(i) पुरा नाम - अमृता श्रीमद्दीप

(ii) हस्ताक्षर -

खाता सं० - ६१

बैंक का नाम - अंग्रेजी बैंक ऑफ़ इंडिया

समिति का मुहर -



- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्ष्यू-१ फे अनुरूप हो (आई.एस.आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय लग्न प्रक्रिया के तहत विभिन्न जरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अनिवार्य है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगा तथा पर्यवेक्षक / अधियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह / निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियंत्रितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार परिषिकारी, निरीक्षक / सहायक अधियंता को सूचित करेगा और आवश्यक साक्षीकरण मांगगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य गवाह और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्राकार्तिक रजिस्ट्रेशन के अन्दर सामग्री की कीमत गहने दृढ़ने के बदलूँद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड रासाधन लाइन को कार्य की प्रगति रो अवगत कराता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान एवं सामग्री के गतिशील प्रयोग को रोकेगा।
- (10) सभी प्रकार के उत्पादों के भूत्त बहन करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के उत्पाद की बाटीबोरी वर राकृती है।)

7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पद्धति विधि के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस वर्क बरिस्त (घोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा रहा है या किसी सुधोग्र और सरकारी संस्था या धान्य निर्माण नियम जिसका पुनर्जन रिकार्ड त्रैक भागितारों में अवश्य रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थितियों में तरुणकारी सरकारी नियम विभाग जिसी भी प्रकार की सामग्री के लिए या जो भी की नकारात्मक भवितव्य भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की लिमिटेड उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

8. विवाद या मतभेद :— यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एक सार्वभाव किसी भी स्तर पर भेजा है तो दोनों पक्ष पिचास-विमर्श कर हल दृढ़न का प्रयास करेंगे किसी भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलझ जेतु जिले के जिलाधिकारी के सम्मान रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

५.१ नियम के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रसिद्ध हो, से उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जापा करने का अधिकार होगा।

५. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकारात्नामा की तिथि से .....(महीना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कड़िका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

६. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

६.१ प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य करने के लिए नियमित भागीदारी एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित घृणण करेंगे और लिखित भारी दर्शन भी देंगे।

६.२ प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नदरों की तीन प्रतिर्थी प्रारूप और भागीदारी देगा।

६.३ जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कर्नीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रमारी कर्नीय अभियंता कार्य प्रगति का अप्रतिनिधित्व करेंगे और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के समिक्षा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

६.४ एकारात्नामा में उल्लेखित किये गये किसी भी ज्ञातों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की भांग कर सकता है।

७. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

७.१ द्वितीय पक्ष :-

(१) कड़िका ५ में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।

(२) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।

(३) विभिन्न कार्यों के लिए अप्रिसूचित दर पर भजदूरी भुगतान करेगा।



1. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में दिनांक ..... को प्रखण्ड राजाधन केन्द्र समन्वयक होगा ) और विद्यालय शिक्षा समिति ..... जिला ..... ( जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होगा ) और विद्यालय शिक्षा समिति ..... जिला ..... ( जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित होगा ) के बीच ..... निर्माण निर्माण ( कार्य के नाम का उल्लेख ) करने के लिए निम्नलिखित शब्दों पर एकरारनामा बनाया जाता है ।
2. ठेके को कीमत :- कार्य की कुल लागत ( जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा ) ..... ( शब्दों में ..... ) है ।

### 3. नियम आवंटन :-

- 3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिराका संचालन प्रधानाध्यापक तथा सचिव के हस्ताक्षर हो रहा है उर्द्द खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी । राशि प्रखण्ड संसद्यन केन्द्र ने मास्यम से उपलब्ध कराया जायेगी ।
- 3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण का के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :-

	आतिरिक्त कमरा एवं अन्य स्फीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	शौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	50%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	---
3. तृतीय किस्त	15%	25%

- 3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कर्मीय अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा विहित प्रमाण में खायोगिता घ्रामाण गत्र दिये जाने पर तथा गिछली निर्गत राशि का कम से कम 50 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी ।

4. खाता का संघरण :- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग अलग रखेगा यह व्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा ।

## क्रीला के

क्रीला शिक्षा अधिकारक

क्रीला वार्ड बोर्ड एवं परिषद

सर्व शिक्षा अधिकार (प्रौढ़ावाद)  
(क्रीला)

(9)

विषय - सर्व शिक्षा अधिकार के तहत कानूनों के  
कानूनों के बाबलालालाला के विभिन्न विवर आदि के बाबत हैं।

मुद्रण

अपरेंट विभाग के हृषीकेश के द्वारा है

सर्व शिक्षा अधिकार के तहत प्र० विठ्ठल शंखर

के द्वारा बिनियोदय एवं प्रभाग विहर (19925)

के लाए उल्लिख विवर जो सीधी प्रश्नों का जवाब  
देते हैं। विभिन्न विषयों के बाबत विवर जो प्र० विठ्ठल  
के द्वारा दी गयी हैं विभिन्न विवर के बाबत हैं जो उल्लिख

अपरेंट विभाग के

अर्द्ध - उपर्युक्त अनुवाद नाम है

विभिन्न विषयों के अनुवाद जो अपरेंट विभाग  
के द्वारा दी गयी हैं विभिन्न विषयों के अनुवाद जो अपरेंट विभाग  
के द्वारा दी गयी हैं।

क्रीला विभाग के अनुवाद

अपरेंट विभाग के अनुवाद

दिनांक ३.२.०७

सदस्य :-

१ मृत्यु उपलब्ध

२ कमली देवी

३ उमेश लिंग प्रद्युम्नश्री

४ अष्टी देवी

५ छात्री दाव

६ हालचंद साव

७ चंजाय तुमर रिह

८

९

१०

आज दोस्रा ३.२.०७ को विद्यालय विद्या उपलब्ध रहने का देश  
के कठ क्षेत्र में है जहाँ अपार्स वाले निवासी निवासी निवासी  
विद्यालय विद्या उपलब्ध वाले निवासी निवासी निवासी निवासी

दिनांक	उपलब्ध	वर	उपलब्ध - १२	शुल्क
२७.१.०६.०८	68	६८.-	१२	११०-
२.१.०६.०९		६८.-	२१	११०-
३.१.०६.०९	63	६८.-	२१	११०-
९.१.०६.०९	75	६८.-	२१	११०-
१०.१.०६.०९		६८.-	२१	११०-
१६.१.०६.०९	54	६८.-	२१	११०-
१७.१.०६.०९	126	६८.-	१४	११०-
२३.१.०६.०९	५२	६८.-	२१	११०-
२५.१.०६.०९		६८.-	२१	११०-
२२.६.०९		६८.-	२१	११०-
२९.६.०९		६८.-	२१	११०-
६.७.०६.०९		६८.-	११	११०-
५.११.०६.०९		६८.-	११	११०-
११.११.०६.०९	23	६८.-	११	११०-
१२.११.०६.०९		६८.-	११	११०-
१४.११.०६.०९		६८.-	११	११०-
				२७७४.-
				५१५४.-
				अध्यक्ष
				संस्कृत विद्या विभाग

सचिवालय

प्राधानी

सचिवालय उपलब्ध विद्यालय

सचिवालय विद्या विभाग

प्राधानी

सचिवालय विद्या विभाग

समिति पंजी

प्राप्ति का वॉर्ड

28-12-05	रोपनिय + २८५	३०५ft	5750/-
28-12-05	३०५	१३०५ft	2400/-
28-12-05	७००.०८ रेंज	३७५५५ + ११२५ + ३०५ -	१६०२/-
28-12-05	३०५ + इलेक्ट्रिक	३०५	६३०/-
28-12-05	३०५	१३५५ft	२०९२५/-
28-12-05	३०५	३००ft	२४००/-
29-12-05	३०५	३००	६३०/-
५-१-०६	३०५	३००	६३०/-
५-१-०६	३०५	३००	१५००/-
६-१-०६	३०५ लेटी आइ	७०० ft	४२००/-
१२-१-०६	३०५	२००	२४००/-
२३-१-०६	३०५	३०० ft	५७५०/-
२४-१-०६	३०५ लिस + २८५	३०० ft	२२६९५/-
२५-१-०६	३०५ + ११२	११०५ft	२४००/-
२५-१-०६	३०५	३०० ft	४५२५/-
२४-१०-०६	३०५ + २८५	५७५ft	१२०६३/-
२४-१०-०६	३०५ लिस	—	१३६३/-
२४-१०-०६	३०५ + २८५ + ११२	—	३७७७/-
१३-११-०६	३०५ + २८५ + ११२	—	१२४५५८/-
१५-११-०६	२.५% Supervision charge	—	१२४५५८/-

कुल अवयव = १२४५५८/-  
 अन्तर्गत = ४९१५५/-  
 — १७३७०२ कुल अवयव एवं लेटी आइ के लिए जुर्माना  
 वह वह कठक के लिए कि गोपनीय लिंग के लिए जुर्माना  
 वह वह कठक के लिए जुर्माना तथा वर्षे की एवं वर्षीय जुर्माना  
 वह वह कठक के लिए जुर्माना तथा वर्षे की एवं वर्षीय जुर्माना  
 वह वह कठक के लिए जुर्माना तथा वर्षे की एवं वर्षीय जुर्माना  
 वह वह कठक के लिए जुर्माना तथा वर्षे की एवं वर्षीय जुर्माना

पदेन सदस्य

प्रशासनाधिकारी  
 श. श. श. श.  
 वर्तमान (दोस्रा बार)

मार्ग द्वारा दर्शन की जाने वाली विद्या, विद्यालय, संस्कृत अवधि

14

प्राचीन विद्यालय दर्शनियां (ग्रन्थालय)

दिनांक : १३ दिसंबर १९८५

दिनांक	दर्शनीय विद्या	विद्या (विषय : विद्या)	ग्रन्थ	दर्शनीय	दर्शनीय	दर्शनीय	दर्शनीय
23.12.85	कृष्ण चित्तार्थ	कृष्ण चित्तार्थ	३००६	१४०	५४०		
	दर्शनीय					३००	
24.12.85	ग्रन्थालय	ग्रन्थालय (विद्यालय)	२००७	८००	२४०८	२	
25.12.85	६३५ + ८५ + ८०३	६३५ + ८५ + ८०३	३१५५	२१५०	८०६२	३	
	८५		४५५	३५	१८००		
	८०३		५२५१	२५	११००		
26.12.85	८२	N.P. विद्यालय	३००८	१४०	५१००	४	
	दर्शनीय			३०	७००		
27.12.85	८२	८२	१२५५	१५५	२०७२	५	
28.12.85	ग्रन्थालय	ग्रन्थालय	१२५५	१४०	२४०८	६	
29.12.85	ग्रन्थालय	ग्रन्थालय	१२५५	१४०	२४०८	६	
30.12.85	८२	N.P. विद्यालय	१२५५	१४०	६३००	७	
31.12.85	८२	N.P. विद्यालय	१२५५	१४०	६३००	७	
6.1.86	८२	N.P. विद्यालय	१२५५	१४०	१४००	७	
12.1.86	८२	N.P. विद्यालय	१२५५	१४०	१४००	७	
23.1.86	८२	८२	१२५५	१४०	१४०८	११	
24.1.86	८२	८२	१२५५	१४०	३४०	१२	
25.1.86	८२	८२	१२५५	१४०	३४०	१२	
24.10.85	८२	८२	१२५५	२४५०	१२२५	१३	
24.10.85	८२	८२	१२५५	१४०	२६००	१४	
28.10.85	८२	८२	१२५५	१४०	१७५	३२२५	
25.10.85	८२	८२	१२५५	१४०	१४०	३००	१५
13.11.85	८२ + ८० + ८५	८२ + ८० + ८५	१३०	१३०	१२०६७	१६	
१३.11.85	८२ + ८० + ८५	८२ + ८० + ८५	१३०	१३०	१३६७	१७	
१३.11.85	८२ + ८० + ८५	८२ + ८० + ८५	१३०	१३०	३७७७	१८	
						१२४५५९	

ग्रन्थालय दर्शनीय विद्या, विद्यालय दर्शनीय विद्या

दर्शन

दर्शन विद्या

दर्शन विद्या

दर्शन विद्या

दर्शन विद्या

दर्शनीय

दर्शनीय

दर्शनीय

दर्शनीय

(5)

मिनी बैंक (एस. एस. बी. एस.) (S.O.B.)

दृष्टि का बाप्तीलीन वक्ता, श्रीचाराध, चापुराडा आदि। - ३०८५-८६-७२४

२१८ प्राप्ति - निष्ठालय अधिकारी

ताता वा ओं उत्तरालय

संख्या	दिनांक	वार्षिक वर्ष	उत्तरालय	दृष्टि	कुल दर	कुल राशि	अभियुक्ति
			ग्राम	प्रति			
1	२७.१२.०६.८१	प्राप्ति कार्यकारी वर्ष १९७८	६८	६८	१२	११०	५९४४
2	१.१.८१	.. दृष्टि कार्यकारी वर्ष १९७८	६३	६८	२१	११०	६५९४
3	३१.१२.८६	प्राप्ति कार्यकारी वर्ष १९७८	७५	६८	२१	११०	७४१०.००
4	१५.१.८६	प्राप्ति कार्यकारी वर्ष १९७८	५४	६८	२१	११०	५९८२.००
5	२३.१.८६.१३	प्राप्ति कार्यकारी वर्ष १९७८	१२६	६८	२१	११०	१०८७८.००
6	२९.१०.८६.११	प्राप्ति कार्यकारी वर्ष १९७८	५२	६८	१४	११०	५३९६.००
7	११.१.८६.१३	प्राप्ति कार्यकारी वर्ष १९७८	५२	६८	२१	११०	५१६६.००
8	१२.१.८६.११	प्राप्ति कार्यकारी वर्ष १९७८	२३	६८	११	११०	२७७४.००
	१४.१.८६.१३	प्राप्ति कार्यकारी वर्ष १९७८					१२६५५८.००
							४९१४४.००
							१७३७०२.००
							३०८५-८६-७२४

मिनी बैंक (एस. एस. बी. एस.) - निष्ठालय अधिकारी

प्राप्ति १२६५५८.०० (ग्राम) ४९१४४.०० (दृष्टि) १७३७०२.००

३०८५-८६-७२४ दृष्टि निष्ठालय अधिकारी

त्रैलक्षणी देवी

राजिना

बैंक अधिकारी

देवी

विधालय अधिकारी

देवी

प्राप्ति अधिकारी एवं दृष्टि अधिकारी

प्राप्ति अधिकारी

दृष्टि अधिकारी

प्राप्ति अधिकारी

प्राप्ति अधिकारी

दृष्टि अधिकारी

दृष्टि अधिकारी

સુધી

નિર્ણય દાખલો કરવાની



નિર્ણય દાખલો કરવાની  
અધ્યક્ષ સેક્ટર કર્મચારી  
(અધ્યક્ષબાબુ)

નિર્ણય - અધ્યક્ષ બેન્ડ અને ફૂલીન કે પાશેથી અધ્યક્ષ કરવાની

નિર્ણય

આધ્યક્ષ વીજના કે જીયે કે અધ્યક્ષ કરવાની નિર્ણય  
કરીયા (અધ્યક્ષ) કે પદ એવી રૂપના (અધ્યક્ષ કરવાની)  
કરી એ અન્ય કે, નિર્ણય કરવાની અધ્યક્ષ કરવાની એવી કરવાની  
એવી કે વીજના અન્ય કે એ અન્ય કરવાની

આ નિર્ણય કરીયા કરવાની

અને નિર્ણય કે અન્ય કે કરવાની કરવાની

નિર્ણય - ૨૦૧૩/૮૧૯

સર્વોચ્ચ નિર્ણય કરવાની અધ્યક્ષ  
એવી કે એવી કે એવી કે  
એવી કે એવી કે એવી કે

નિર્ણય કરવાની

અધ્યક્ષ  
એવી કે  
એવી કે



*प्राक्ति नियम  
०४.१८*

Schedule XLV—Form No. 134.

विभाग प्रभा, परा

BIHAR P.W.D.

DIVISION

SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK.

सर्व शिक्षा उनियान, ओरंगाबाद  
प्र० किंवद्दि निर्धा०, ओंचल-महनपुर  
Schedule XLV—Form No. 134.

एक आतिरिक्त कमरा निर्भीत  
Divisibility

आपली राशी—रुप० 1,59,90/-

वर्ष—१८५१०५

प्रमाणित किया जाते हैं  
इस भाषा—कुल में कुल 100

MEASUREMENT BOOK.

(एक सौ) पाँच हजार

68  
०४-०५

511658

94/41/8

जिला काच्छ संस्थान

Name of officer

C. P. Gupta

19-५-०६

Date of first entry

प्रथम दिन इस ग्रन्थालय में चलाया गया।

Date of last entry

पिछोर एक वर्ष में दो।

Name of work—  
 Situation of work  
 Agency by which work is executed—  
 Date of measurement—  
 No. and date of agreement.  
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
first & final Bill					
Mode of work—					
construction of A-C-P-J					
at P. S. Runkat					
Block - Moulding					
Dist - Auringabad					
Agency — V. G-S. Prinay					
second Runkat and					
H. M. P. S. Runkat					
Date of measurement—					

(1) - Site clearance	2243	
(2) - Labour	Rs 136.5/-	
(2) - Preparing 10"		
area below ground		
Level		
21 x 11' 6" = 24' 1' 6" "		
1 x 15' 1" = 15' 1" "		
257' 5"		
= 78.45 m <sup>2</sup>		
(3) - 8.8 sq.mts		
	Rs 22.98/-	
(5) - making 63 mm		
area under room - at		
required depth - 6"		
ordinary 8' 0"		
Continuation	Rs 2556.4	

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BE	25.56 c.
25 m.s	(2)	Rs	132	.70	
Sch				Rs	819.2
(4) - Paving				Rec	
MIS (1, 2, 4) Pavers					
$21 \times \pi/4 (0.25)^2 \times 2.5 \text{ m}^2$					
$= 3.61 \text{ m}^2$					
$1 \times \pi/4 (0.25)^2 \times 4 = 85 \text{ m}^2$					
$= 0.21 \text{ m}^2$					
Ex 170 for 4 cm -					
$25 \times 0.5 \text{ gca m}^2$					
$= 11.25$					
$= 5.3 \text{ gca}$					

(a) Rs 202.90/5/m <sup>3</sup>			
		Rs 10,820.00	

(5) - Paving	g sand		
giving below gread beam			
$118\frac{1}{2}'' - 22\frac{1}{2}'' \times 10'' \times 10'' \times 3''$			
$= 19.84 \text{ ft}^3$			
$= 0.5618 \text{ m}^3$			

(2) Rs 93.80/m <sup>3</sup>		Rs 53.40	

(6) - Paving	g sand		
B.F.S. below gread beam			

$118\frac{1}{2}'' - 22\frac{1}{2}'' \times 10'' \times 10'' = 79.39 \text{ ft}^3$			
$= 7.276 \text{ m}^3$			

(4) Rs 73.40/m <sup>2</sup>		Rs 541.00	

Continuation Rs 14,788.00

Sch. XLV-Form No. 134

3

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BE	14,788
(7) - Prom. lining.					
R.C.C. M25 (1:2:4) in					
Ground beam BE cladding					
Steel -					
118'5 1/2" x 10' X G 1/2" 64" 83 cu.					
= 1.837 m <sup>3</sup>					
(8) Ry 23.84.98 / m <sup>3</sup>					
				Ry	4380.4
(8) - Prom. lining.					
Brickwork in cm (1:6)					
up to plinth					
118'5 1/2" x 10' X 13" 1					
= 102.90 est.					
Deduction verandah					
Pillar enclosure					
3 x 1'3" x 7/4 (0.183) <sup>2</sup>					
(9) = 2.034 L.					
112.87 est.					
= 9.492 m <sup>3</sup>					
(10) Ry 12.53.22 / m <sup>2</sup>					
				Ry	52.08
(9) - Prom. lining 2.50 m <sup>2</sup>					
Thickness D.P.C M25 (1:2:4)					
118'5 1/2" x 10' = 98.32 est.					
= 9.137 m <sup>2</sup>					
(11) Ry 65.08 / m <sup>2</sup>				Ry	594.04

Continuation Ry 23.970.0

**Sch. XLV-Form No. 134 4**

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	23.970.0
(10) - Promontory	10019				
inside wall with C.M					
(1:6) in supersimeter					
in Rattan band					
118' 5 1/2" x 10" x 10' 6"					
= 983.20 cft					
Deductions					
9 - 1x4x7' x 10" = 23.94 cft					
4 - 3x4' x 5' x 10" = 50.00 cft					
Verandah opening					
28' 10" x 10" x 10' = 23.928 cft					
lintel -					
4 x 5' x 10" x 6" = 8.00 cft					

lintel band -			
(8g17h2" - 20') x 10" x 3"			
= 14.45 cft			
33.5.27 cft			
Net quantity -			
983.20 - 33.5.27			
= 647.93 cft			
= 18.347 m <sup>3</sup>			
@ Rs 128.50/m <sup>3</sup>			
		Rs	23,582.00

(11) - Promontory R.C			
M,5 in Limited band			
(8g17h2" - 20' 0") x 10" x 3'			
= 14.447 cft = 0.409 m <sup>3</sup>			
@ Rs 239.30/m <sup>3</sup>		Rs	98.900

Continuation Rs 48,541.40

## Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF - 48,541.0
(12) - Pounding M15					
(1:2:4) in Guntha					
$4 \times 5' \times 10'' \times 6'' = 80.30 \text{ cu ft}$					
Guntha in Verankah					
$29' 8'' \times 12' \times 6'' = 12.36 \text{ cu ft}$					
$90.61 \text{ cu ft}$					
$= 0.57 \text{ m}^3$					
(13) Rs 28.82/- 35/- cu m					
					Rs 1672.00
(14) - Pounding M15					
(1:2:4) in Verankah					
Pillar (calculus)					

$3 \times 11' 0'' \times \pi / 4 (0.893)^2$				
$= 17.85 \text{ cu ft}$				
$= 0.5 \text{ m}^3$				
(14) Rs 24.39.10/m <sup>3</sup>				
				Rs 1244.50
(15) - Pounding M15				
Rect. Bed Block				
$5 \times 2' 6'' \times 10'' \times 6'' = 5.187 \text{ cu ft}$				
$= 0.147 \text{ m}^3$				
(15) Rs 23.92.30/-/m <sup>3</sup>				Rs 351.42
(16) - Pounding 63 mm				
Rect. chh. 8ft				
$3 \times 5' \times 1' 6'' = 22.5 \text{ cu ft}$				
$= 0.03 \text{ m}^3$	(16) Rs 964.40/m <sup>2</sup>			
				Rs 770.40
Continuation	Rs 52,578.0			

Sch. XLV-Form No. 134 6

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	52,578.0
(16) - Pounding M15 ✓					
Rec. (1:2:4) beam all					
lvs -					
17' 2 1/2" x 10" x 10" = 11.86 cft					
9' 9 1/8" x 10" x 6" = 12.28 cft					
2 x 2 3 1/8" x 10" x 13 1/2" = 44.19 cft					
				68.33 cft	
				= 1.93 m <sup>3</sup>	
(17) P3 340 1.30/m <sup>3</sup>					
					P3 65.64 ✓
(17) - Pounding M15 ✓					
Rec. Race.					

3 x 9' 0" x 2' 0" x 2 1/2" = 12.81 cft		
	= 0.36 m <sup>3</sup>	
(18) P3 290.50/m <sup>3</sup>		
		P3 1046.00
(18) - Pounding Rice ✓		
M15 (1:2:4) in filter slab.		
8 x 1 1/2 x 9 1/2" x 11" x 10" = 461.37 sqft		
	= 461.37 sqft	
9' 9" x 1' 6" = 14.698 sqft		
9' 9" x 1' 6" = 14.698 sqft		
2' 10" x 17' 2 1/2" x 7' 6" = 79.11 sqft		
	= 79.11 sqft	
17' 2 1/2" x 3' = 51.63 sqft		
8' 8" x 17' 2 1/2" x 2' 10" = 62.48 sqft		
	= 62.48 sqft	

Continuation

660.12 sqft

P3 60,188.0

Sch. XLV-Form No. 134

7

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	60,188.0
Bulky - 660.12 sq ft					
= 62.12 m <sup>2</sup> @ Rs.38 2.82 /mt					
Brick (6mm) - Ps 23,848.40					
(19) - Plastering 12 mm					
4 thick water proof cement					
Plaster (1.6) with 5%					
water Proof powder 5%					
per diem (18)					
Bulky - 62.19 m <sup>2</sup>					
@ Rs 51.80 /m <sup>2</sup>					
				Rs 3221.80	
(20) - Plastering					
12 mm thick cement					
Plaster (1.6) in cladding					
1.5 mm cement rendering					
up to A (outer sides)					
10g'10" x 2'0" = 219.61 sqft					
Starting -					
93'10" x 6" = 461.91 sqft					
		266.57 sqft			
	= 24.77 m <sup>2</sup>				
@ Rs 518.3 /m <sup>2</sup>				Rs 1284.00	
(21) - Plastering					
12 mm thick cement					
Plaster (1.6) inner side					
of wall -					
inner cladding 20 m <sup>2</sup>					
8 x 9'0" x 10' = 720 + 40 sqft					

Continuation Rs 88,561.0

## Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF - 88.501.00
2 x 1' 6" x 10' 0" = 30.002 sq ft					
Verandah -					
2 x 9' 0" x 10' 0" = 180 - or 54 ft					
3' 10" x 10' 0" = 38.10 sq ft					
Piller -					
3 x 4' x 10' 0" x 7' 6" = 74.28 sq ft					
Ver. Circular -					
28' 10" x 1' 10" = 52.71 sq ft					
Beam -					
28' 10" x 1' 10" = 52.71 sq ft					
15' 1" x 9' 6" = 38.88 ft					
2 x 9' 1" x 3' 1" = 13.55 ft					

Rack -

$$3 \times 9' 0" \times 3' 21/2" = 86.68 \text{ sq ft} \quad \checkmark$$

1409.14 sq ft

Deduction -

$$7 - 1 \times 4' \times 7' = 28.48 \text{ sq ft} \quad \checkmark$$

Starting 88 per item

No. - ②

$$\text{Bulky} - 46.92 \text{ sq ft}$$

$$74.92 \text{ sq ft}$$

Net Bulky -

$$1409.14 - 74.92 \text{ sq ft}$$

$$= 1334.22 \text{ sq ft}$$

$$= 123.987 \text{ m}^2$$

$$\textcircled{2} \text{ m}^2 37.88 / \text{m}^2 \quad P_2 \quad 46.90 \text{ cft}$$

Continuation

$$P_3 93.191 \text{ cft}$$

## Sch. XLV-Form No. 134

9

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	93,191.0
(29) - Providing concrete sand filling in plinth —					
8' X 3' 6" X 11' 9" = 336 cu ft					
1' 6" X 9' = 13.50 cu ft					
Plinth - at —					
3' 10" + 15' 6" X 1' 6" X 6' 8" = 181 cu m					
2 = 64.77 sq ft					
15' 6" X 7' = 46.69 sq ft					
7' 10" + 15' 6" X 2' X 4' 6" = 46.74					
2 = 46.74					
567.64 sq ft					

Area - 567.64 sq ft X 1' 10" =				
= 1038.78 sq ft				
= 29.415 cu m				
② Rs 93.80 / cu m				Rs 2759.4
(29) - Providing designating 1 m A B.C. flat soiling as per item				
Ans - ② 25				
Area - 567.64 sq ft				
= 52.75 m <sup>2</sup>				
				Rs 3871.4
(29) - Providing 25				
mm thick I.P.S. flooring				
as per item ③				
Area - 52.75 m <sup>2</sup> @ Rs 82.15 / m <sup>2</sup>				4333.4

Continuation: Rs 104,154.0

Sch. XLV-Form No. 13410

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area 1
	No	L	B	D	
				BF	104154.00
(26) - S/F/F M.S.					
guntas window					
3 x 4' x 5' = 60.00 sqft					
(27) 1.5 kg / sqft = 90 kg					
(28) 90 kg / sqft					
				M	2160.00
(29) - S/F/F sqft					
16 gauge C.R. sheet					
in door & windows					
4 - 3 x 4' x 5' = 60.00 sqft					
3 - 1 x 4' x 7' = 28.00 sqft					
					88.00 sqft
= 8.18 m <sup>2</sup> @ Rs 98.486/m <sup>2</sup>					
					M 8056.40
(30) - Painting.					
16 mm old fan back					
1 x 3 = 3 mrs					
(31) Rs 35.85 / mrs					
				M	108.00
(32) - Painting					
three coats of					
white washing (var)					
wall) ears per 2 mrs					
(33) & (34)					
4mtrg - 13.98 + 62.12 m <sup>2</sup>					
= 186.1 m <sup>2</sup> @ Rs 4.25/m <sup>2</sup>					
					M 791.00
Continuation. By 1152.69.0					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D	
				BF-	1,15,249.0
(30) - Pravteling.					
two coats of colour					
washing over 8 parts					
of white washing.					
$8 \times 9' 5'' \times 10' = 780 \text{ m}^2$					
$3 \times 10' = 30 \text{ m}^2$					
$810.00 \text{ or } 81\text{ft}$					
Deduction -					
$4 - 3 \times 4' \times 5' 0'' = 60.00 \text{ ft}$					
Net Area -					
$810.00 - 60.00 \text{ or } 850 \text{ ft}$					
$= 750 \text{ or } 85 \text{ ft}$					

-	$69.76 \text{ m}^2$		
(2) $Rs 7.35/\text{m}^2$		Rs	512.45/-
(3) - Pravteling Steel			
oxide primer on steel			
work			
Ghill - $3 \times 4' \times 5' = 60.00 \text{ ft}$			
shutter $9 \times 5' 0'' = 176.00 \text{ ft}$			
$236.00 \text{ ft}$			
$\approx 21.93 \text{ m}^2$			
(2) $Rs 15.93/\text{m}^2$		Rs	349.45/-
(3) - Pravteling.			
two coats of Gunnel Paint			
wash with sand mix			
as per drawing (31)			
$\text{Area} = 21.93 \text{ m}^2$ (2) $Rs 25.55/\text{m}^2$			
		Rs	560.00

Continuation  $Rs 1,16,690.00$

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				B.F.	1,16,690.00
(B3) - Pn v.v.P. clink.					
Black - board.					
1 x 8' x 4' = 32 sq ft					
= 20 yd <sup>2</sup>					
④ As 98 fm <sup>2</sup> = P1 283.42					
2 Lm - (35)					
Reinforcement -					
details -					
① Pile - 1 m <sup>2</sup> q					
4 nos X 1.1 x 1.3' = 10.99 sq ft					
4 x 1.1 x 1.6' " = 6.4 sq ft					
= 11.56 sq ft					
= 352.33 mts					

② 0.62 kg/m <sup>2</sup>				
= 218.44 kg				
5% cutting bending				
workage - 10.91 kg.				
299.36 kg.				
<u>- 299.4 kg</u>				

Rings 6 mm dia				
21 x 21 x 2' 6" = 1102.5 sq ft				
1 x 23 x 2' 6" = 57.5 sq ft				
= 1160.0 sq ft				
353.55 mts @ 0.22 kg/m <sup>2</sup>				
= 78.12 kg				

Continuation Rs 1,16,973.00

Sch. XLV-Form No. 1343

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1) - Girder beam					
8 mm thick					
$118' 5 \frac{1}{2}'' \times 6 \text{ nos} = 710.5 \text{ ft}^2$					
$= 916.1 \text{ m}^2$					
5% cutting wastage					
$= 10.8 \text{ m}^2$					
$916.1 - 10.8 = 905.3 \text{ m}^2$					✓
$= 188 \text{ kg}$					
Ring - Girder					
$178 \times 91.6'' = 445 \text{ ft}^2$					
$= 135.61 \text{ m}^2$					
$= 130 \text{ kg}$					

(2) - Lintel board					
8 mm thick					
$89' \times 2 = 178 \text{ ft}^2$					
$= 54.25 \text{ m}^2$					
$\text{④ } 0.9 \text{ kg/m}^2$					
$= 21 \text{ kg}$					✓

(3) - Lintel on top					
8 mm thick					
$474 \times 5' = 80 \text{ ft}^2$					
$= 24.3 \text{ m}^2$					
$\text{④ } 150.395 \text{ kg/m}^2$					
$= 10 \text{ kg}$					
Ring - Girder					
$8 \times 4 \times 2' = 64 \text{ ft}^2 = 19.5 \text{ m}^2$					
$= 14 \text{ kg}$					✓

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134 14

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(v) - Verm. Pillar beam					
16 mm $\text{ft}$					
$29' 8'' \times 4 = 118.64 \text{ ft}$					
5% cutting waste					
$= 5.93 \text{ ft}$					
$124.57 \text{ ft}$					
$= 37.967 \text{ m}^2$					
(vi) 108.8 kg per m <sup>3</sup>					
$= 60 \text{ kg}$					
Ring - 6x mm $\text{ft}$					
$52 \times 2' 6'' = 130 \text{ ft}$					
$= 39.62 \text{ m}^2$					
$= 19 \text{ kg}$					
(vii) - chhajji $\text{ft}$					
8 mm $\text{ft}$					
$3 \times 12 \times 2' 4'' = 84 \text{ ft}$					
$3 \times 4 \times 5' 0'' = 60 \text{ ft}$					
$= 144 \text{ ft}$					
5% cutting - waste					
$= 7.2 \text{ ft}$					
$151.2 \text{ ft}$					
$= 461.08 \text{ m}^2$					
$= 118 \text{ kg}$					
(viii) Rack - 8 mm $\text{ft}$					
$3 \times 5 \times 10' 0'' = 150 \text{ ft}$					
$3 \times 22 \times 2' 4'' = 153.78 \text{ ft}$					
$51.6 \text{ ft}$					
$= 303.78 \text{ ft}$					
$= 151.8 \text{ ft}$					
$= 318.98 \text{ ft}$					
$= 97.917 \text{ m}^2$					
Continuation					
38 kg.					

Sch. XLV-Form No. 134 15

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(viii) - Coal in Van					
12 m m - ft					
$3 \times 6 \times 13' 6'' = 243 \text{ cu ft}$					
5% cutting binding					
binding wastage					
$= 121.5 \text{ ft}$					
$2.53 \times 121.5 = 306.65 \text{ ft}$					
$= 77.87 \text{ mts}$					
$\therefore = 169 \text{ kg}$					
Piling - 6 m m - ft					
$3 \times 2.8 \times 16' 4'' = 187.5 \text{ ft}$					
$= 57.147 \text{ mts}$					
$= 13.129 \text{ t}$					

(ix) - Piling Beam					
9 m m - ft					
$2 \times 4 \times 23' 9'' = 190 \text{ ft}$					
Crank					
$2 \times 2 \times 25' 6'' = 102 \text{ cu ft}$					
$2.92 \text{ ft}$					
5% cutting wastage					
$= 14.6 \text{ ft}$					
$306.6 \text{ ft}$					
$= 99.447 \text{ mts}$					
$= 1930 \text{ kg}$					
16 m m - ft					
$2 \times 2 \times 23' 0'' = 92 \text{ ft}$					
5% cutting wastage					
$= 41.6 \text{ ft}$					
$96.6 \text{ ft}$					
$= 29.44 \text{ mts}$					
$= 47 \text{ kg}$					

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134 16

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L'	B.	D.	
				BF =	1,16,973.00
Ring		8 m m T			
2x47 x 4' 3" = 399.56					✓
= 131.76 m <sup>2</sup>					
5' 1" BMT - 6.08 m <sup>2</sup>					
127.85 m <sup>2</sup>					
= 160.627					
Total size -					
229 + 78 + 88 + 30 + 21					
+ 4 + 60 + 9 + 18 + 38 + 69					
+ 13 + 230 + 47 + 50					
= 984 kg.					

② By 23.51 / kg

P<sub>3</sub> 23134

21 m - 136

- STEPS

(i) Excavation -

4x4' x 1' 0" = 13.28 cft

= 0.376 m<sup>3</sup>

④ Rs 300 / m<sup>3</sup> — P<sub>3</sub> 11.00

(ii) - Sand filling

4' x 4' x 3' = 4 cft

= 0.113 m<sup>3</sup>

④ Rs 300 / m<sup>3</sup> — P<sub>3</sub> 11.00

(iii) - Brick flat sand -

4' x 4' = 16 s ft = 1.48 m<sup>2</sup>

④ Rs 73.40 / m<sup>2</sup> — P<sub>3</sub> 109.80

Continuation: P<sub>3</sub> 1,40,238.00

Sch. XLV-Form No. 134 17

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				B.F.	140, 238.00

(iv) - Bricks	1000				
C.m (1:6)					
4' x 4' x 6" = 8.00 m <sup>3</sup>					
4' x 3' x 6" = 6.00 m <sup>3</sup>					
4' x 2' x 6" = 4' x 0.5					
4' x 2' x 6" = 2.00 m <sup>3</sup>					
= 0.566 m <sup>3</sup>					

(v) Rs 12.53/- m <sup>3</sup>					

(vi) P.M. rendering plaster & painting in slopes					
(1:6)					
4' x 6' x 6" = 12.00 set					

= 1.12 m <sup>2</sup>	(v) Rs 518.3/m <sup>2</sup>				
















Continuation

Sch. XLV-Form No. 134 18

Particulars	Details of actual measurement				Contents of men
	No.	L.	B.	D.	
				B.F.	85, 057.0
Add	460 cart	ay			
Cement	170 bags				
(@) Rs 14.3/- bags (ft) — P	24,310.00				
Add 460 cart	ay				
Steel 982 kg (@) Rs.					
23.51/kg (ft) — P	23134.00				
	P	132,134.00			
Add 460 carriage					
ay material					
(i) — Sand (35 KM)					
Qty — 1070 C ft					
= 30. 299 m <sup>3</sup>					
(@) Rs 25.205/m <sup>3</sup>					
	P	7643.00			

(ii) — Stone Ch 128				
Karwanalda no work				
Size —				
Qty — 645 C ft				
= 18.264 m <sup>3</sup>				
(@) Rs 37.905/m <sup>2</sup>				
	P	6939.00		
(iii) — Bricks (5000)				
Brk — 10,500 bags				
(@) Rs 268.84/-				
	P	2823.00		
	P	149539.00		
1% Contingency — P	1495.00			
	P	151094.00		

Continuation 18

Sch. XLV-Form No. 134 19

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
				BF	1,51,034.00
8.5 ft Subarn-S.S.A.					
charge				Rs	3,776.00
				Rs	1,54,810.00
Purne & Dallam Prahad.					
04.01.008.					
Tek Subarnigor S.S.A.					
Maklanpur					
final Bill					
Planned work —					
construction off A.C.E.					

at P.S. Runga	Runga	
Madanpur Dist-Aurangz.		
badi under V.S S- 24.00		
Primary school Runga		
Date of measurement		
08.1.008..		
Total area works —		
Ramps. —		
(i) Excavation —		
$2 \times 6'0'' \times 10'' \times 10'' = 8.267 \text{ cu. ft.}$		
$= 0.234 \text{ m}^3$		
(ii) Rs 30.00/m <sup>3</sup>		
	Rs. 7.00	
(iii) Sand filling —		
$2 \times 6'0'' \times 10'' \times 3' = 2.49 \text{ cu. m.}$		
$\approx 0.07 \text{ m}^3 @ \text{Rs. } 93.80/\text{m}^3$		
	Rs. 7.00	

Continuation Rs 24.00

Sch. XLV-Form No. 134 21

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					Rs 14/- sq.
(iii) - Brick flat					
Scaling -					
$1 \times 6' \times 24' = 13.98 \text{ sq ft}$					
$= 0.396 \text{ m}^2$					
$\textcircled{2} = 1.299 \text{ m}^2$					
$\textcircled{3} Rs 73.40 / \text{m}^2$					
					Rs 95.00
(iv) - P.C.C. (L: 3:6)					
$2 \times 1' \times 10' \times 4' = 3.287 \text{ cu ft}$					
$= 0.09 \text{ m}^3$					
$\textcircled{4} Rs 14.31 / \text{m}^3$					
					Rs 133.00
(v) - 25 mm I.P.S. flooring in Ramp					

$1 \times 6' \times 4' = 24 \text{ sq ft}$				
$= 2.930 \text{ m}^2$				
$\textcircled{5} Rs 82.15 / \text{m}^2$				
				Rs 183.00

Back amount As per	
Page No. - $\textcircled{19}$	Rs 1,54,810.00
	Rs 1,55,235.00

Puraskalatty Prasad.  
13-01-2028  
Tech. Supervisor.  
S.S.A (Mr. Pur)

$$\text{Less 2% WAT} = 2 \times 1,55,235.00 = \text{Rs } 31,05 = ^{-} (-)$$

$$\text{Less 1.5% Royalty} = 15 \times 1,55,235.00 = ^{-}$$

$$\text{Continuation} = \text{Rs } 23,29 = ^{-} (-)$$

Sch. XLV-Form No. 134 21

## Continuation